



Neutral Citation No. - 2026:AHC:49895

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - 722/2026

ओंकार नाथ

----- याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 16 अन्य

----- प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अखिल नंद पांडे, महेंद्र शुक्ला

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थाई अधिवक्ता, रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक,

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।
2. इस रिट याचिका में अन्य बातों के साथसाथ निम्नलिखित राहत की मांग की -
:गई है

"परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 को यह निर्देश दिया जाए कि वह प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष लंबित पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र संख्या 873/2025 (20185415900002615), दिनांक 24.08.2018 पर, इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्णय ले।"

3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है, यदि उपर्युक्त मामले को शीघ्रता से निपटाने का निर्देश जारी किया जाता है।
4. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में, इस मामले को लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। इसलिए, यह न्यायालय वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निपटारा करना उचित समझता है—बिना याचिका में उठाए गए मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए हुए—और प्रतिवादी संख्या 2 को यह निर्देश देता है कि वह उपर्युक्त मामले का निर्णय विधि के पूर्णतः अनुरूप, एक तर्कसंगत और सुस्पष्ट आदेश के माध्यम से करे; यह निर्णय संबंधित पक्षों को सुनवाई का

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अवसर प्रदान करने के बाद, और किसी भी पक्ष को कोई अनावश्यक स्थगन दिए बिना, शीघ्रता से—अधिमानतः, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से चार माह की अवधि के भीतर—किया जाए।

5. उपर्युक्त निर्देश के साथ, इस याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित किया जाता है।

(दिनेश पाठक, जे.)

11 मार्च 2026

Translated Version. Not for Legal Use.